2011:CGHC:8756-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर

रिट याचिका (एस) संख्या 1579 वर्ष 2008

याचिकाकर्ता : बी.वी. रमना राव।

बनाम

उत्तरवादी : भारत संघ और अन्य।

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हस्ताक्षरित/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधिपति

माननीय श्री न्यायाधिपति राधे श्याम शर्मा

मैं सहमत हूँ।

हस्ताक्षरित/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधिपति

निर्णय हेतु तिथि 27 जुलाई, 2011 को सूचीबद्ध करे।

हस्ताक्षरित/-

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका (एस) संख्या 1579 सन 2008

याचिकाकर्ता : बी.वी. रमना राव।

बनाम

उत्तरवादी : भारत संघ और अन्य।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोरम : माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री और
माननीय श्री न्यायाधिपति राधे श्याम शर्मा, जे.जे.

उपस्थित : याचिकाकर्ता की ओर से श्री बी.पी. राव, अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या 1 से 4 की ओर से श्री एच.एस. अहलूवालिया, अधिवक्ता।

(दिनांक 27 जुलाई, 2011 को सुनाया गया)

सतीश के. अग्निहोत्री, जे. द्वारा

1. वर्तमान याचिका केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर (संक्षेप में 'न्यायाधिकरण') द्वारा ओ.ए. संख्या 119/2005 में पारित दिनांक 26/12/2006 के आदेश (अनुलग्नक पी/17) और समीक्षा आवेदन संख्या 5/2007 में पारित दिनांक 05.03.2007 के आदेश (अनुलग्नक पी/18) के विरुद्ध दायर की गयी। इसके अलावा, प्रतिवादियों को दिनांक 18/04/2004 के ज्ञापन

(अनुलग्नक पी/12) को संशोधित करने का निर्देश दिया जाता है, जिसके द्वारा याचिकाकर्ता का ग्रहणाधिकार मुख्यालय के इंजीनियरिंग विभाग में अधिसूचित किया गया है।

2. तथ्य, संक्षेप में, यह हैं कि याचिकाकर्ता मूल रूप से दिनांक 05/02/1970 को टाटानगर स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड में खलासी के पद पर नियुक्त हुआ था। उसे 17/02/1983 को कनिष्ठ लिपिक के पद पर और उसके बाद दिनांक 17/02/1983 को वरिष्ठ लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया। याचिकाकर्ता के अनुसार, उसकी ग्रहणाधिकार चक्रधरपुर मंडल के कार्मिक शाखा में बनाए रखा गया था। बाद में, याचिकाकर्ता का दिनांक 28/08/1984 को कोरापुट परियोजना में स्थानांतरण कर दिया गया। उसे 11/6/1990 को प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया और बाद में तदर्थ आधार पर कार्मिक शाखा में कार्यालय अधीक्षक (संक्षेप में ' ओएस '), ग्रेड II के पद पर पदोन्नत कर लक्ष्मीपुर में नियुक्त किया गया। वर्ष 1992 में, याचिकाकर्ता का रेलवे विद्युतीकरण विभाग, बिलासपुर में तदर्थ ओएस ग्रेड II के रूप में स्थानांतरण कर दिया गया, जिसमें उसका ग्रहणाधिकार चक्रधरपुर की कार्मिक शाखा में बनाए रखा गया था। तत्पश्चात्, उसे उसी क्षमता में मुख्य अभियंता (निर्माण)/दक्षिण पूर्वी रेलवे, बिलासपुर के अधीन निर्माण संगठन में तैनात किया गया। इस बीच, नए रेलवे जोन का गठन हुआ और दक्षिण पूर्वी रेलवे के सभी मंडलों से विकल्प आमंत्रित किए गए। नए जोन का विकल्प चुनने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 30/04/2004 को या उससे पहले नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना आवश्यक था, जैसा कि ज्ञापन दिनांक 30/10/2003 (न्यायाधिकरण के समक्ष मूल आवेदन का अनुलग्नक R/1) से स्पष्ट है। याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय सीमा अर्थात् दिनांक 30/04/2004 के बाद, केवल दिनांक 27/07/2004 को अपनी कार्यभार से मुक्ति के लिए अपना विकल्प प्रस्तुत किया। याचिकाकर्ता ने 25/10/2004 (अनुलग्नक P/13) को कार्मिक विभाग में अपना ग्रहणाधिकार बनाए रखने के लिए एक अभ्यावेदन दिया। उत्तरवादी संख्या 3 ने अपने पत्र दिनांक 01/12/2004 के माध्यम से याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को अस्वीकार कर दिया और याचिकाकर्ता का ग्रहणाधिकार इंजीनियरिंग विभाग में बनाए रखा। उत्तरवादियों की उक्त कार्रवाई से पीड़ित होकर, याचिकाकर्ता ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर में मूल आवेदन संख्या 119/2005 में संपर्क किया, जिसे आदेश दिनांक 26/12/2006 (अनुलग्नक P/17) द्वारा यह मानते हुए खारिज कर दिया गया कि याचिकाकर्ता किसी भी मांगी गई राहत का हकदार नहीं था क्योंकि अन्य कनिष्ठ व्यक्तियों ने दिनांक 30/04/2004 से बहुत पहले नए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर (संक्षेप में एसईसीआर, बीएसपी मुख्यालय) में रिपोर्ट कर दी थी और याचिकाकर्ता निर्माण संगठन में अपनी तदर्थ पदोन्नति का लाभ उठा रहा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था। तत्पश्चात्, याचिकाकर्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक पुर्नविलोकन आवेदन संख्या 5/2007 दायर किया, जिसे भी आदेश दिनांक 05/03/2007 (अनुलग्नक P/18) द्वारा यह याचिका खारिज कर दिया गया।

3. प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राव का यह तर्क है कि अधिकरण ने प्रार्थी की याचिका इस साधारण आधार पर खारिज कर दी कि वह निर्धारित समय सीमा अर्थात् दिनांक 30/04/2004 से पूर्व नए ज़ोन में कार्यभार ग्रहण नहीं कर सका। प्रार्थी का ग्रहणाधिकार नए ज़ोन में इंजीनियरिंग विभाग में ज्ञापन दिनांक 18/10/2004 (अनुलग्नक P/12) द्वारा बनाए रखा गया था। श्री राव का आगे यह तर्क होगा कि प्रार्थी के ग्रहणाधिकार को कार्मिक विभाग से इंजीनियरिंग विभाग में स्थानांतरित करना विधि विरुद्ध है क्योंकि इससे उसे पदोन्नति और भविष्य के लाभों का उचित अवसर गंवाना पड़ा है। कार्मिक विभाग में, उसके कनिष्ठों अर्थात् ए.ए. अहमद, के.एस. बोरकर, श्री बी.एन. सरकार और श्री एस.के. तिवारी को प्रधान लिपिक के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसके बाद, बी.एन. सरकार और एस.के. तिवारी को ओएस, ग्रेड II के पद पर पदोन्नत किया गया था। प्रार्थी को उसके ग्रहणाधिकार के अनाधिकृत हस्तांतरण के कारण उक्त पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था। श्री राव का अगला तर्क यह है कि आदेश दिनांक 04/12/2003 (अनुलग्नक P/8) द्वारा, प्रार्थी का स्थानांतरण एसई रेलवे के चक्रधरपुर मंडल से एसईसीआर, बीएसपी में, उसके ग्रहणाधिकार को कार्मिक विभाग में बनाए रखते हुए, किया गया था। आदेश दिनांक 18/10/2004 (अनुलग्नक P/12) द्वारा बाद में किया गया ग्रहणाधिकार में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। प्रार्थी को निर्माण मंडल से नए पदस्थापन स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के लिए कार्यमुक्त न किए जाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और प्रार्थी को इसके लिए दंडित भी नहीं किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, उत्तरवादियों की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता श्री अहलूवालिया ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विकल्प के आधार पर एसईसीआर, बीएसपी में समायोजित करने हेतु स्वीकार किया गया था और उनका ग्रहणाधिकार पत्र दिनांक 30/10/2003 के माध्यम से एसईसीआर में स्थानांतरित कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ता को नए ज़ोन में शामिल होने के लिए निर्धारित समय सीमा अर्थात् दिनांक 30/04/2004 से पहले व्यक्तिगत रूप से कार्यभार से मुक्ति किया जाना चाहिए था। याचिकाकर्ता निर्धारित समय सीमा से पहले व्यक्तिगत रूप से शामिल नहीं हो सका। इस प्रकार, कार्मिक विभाग में अपना ग्रहणाधिकार बनाए रखने की याचिकाकर्ता की शिकायत पोषणीय नहीं है। अन्य कर्मचारियों को

लाभों के संबंध में, श्री अहलूवालिया ने प्रस्तुत किया कि विकल्प चुनने वालों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार मुख्यालय कार्यालय में समायोजित करने के लिए जांचा गया था और उनकी पोस्टिंग की गई थी तथा मुख्यालय कार्यालय के विभिन्न विभागों में जनशक्ति की आवश्यकता के अनुसार उनका ग्रहणाधिकार निर्धारित किया गया था। नए क्षेत्रीय कार्यालय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, याचिकाकर्ता का ग्रहणाधिकार विद्युत विभाग में बनाए रखा गया क्योंकि उन्होंने दिनांक 11/06/1990 से चक्रधरपुर मंडल की ओपन लाइन के टीएसआर विभाग में काम किया था, हालांकि वह कभी भी ओपन लाइन में शामिल नहीं हुए और अपनी पूरी सेवा के दौरान निर्माण संगठन में बने रहे। याचिकाकर्ता को किसी विशेष विभाग में ग्रहणाधिकार रखने का कोई अधिकार नहीं है और याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में भी विफल रहा है कि वह शुरू में कार्मिक विभाग में नियुक्त किया गया था और उसके बाद, कार्मिक विभाग में उसका ग्रहणाधिकार पूरे समय बनाए रखा गया था। याचिकाकर्ता की यह शिकायत कि पूर्वोक्त व्यक्ति, जो कार्मिक विभाग में याचिकाकर्ता से कनिष्ठ थे, को पदोन्नत किया गया था, पर विचार नहीं किया जा सकता क्योंकि उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया, अभिवचनों और संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

6. दस्तावेज़ों के अवलोकन से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.04.2004 से पहले कभी कोई प्रयास नहीं किया था क्योंकि उसने निर्धारित समय सीमा अर्थात् दिनांक 30/04/2004 के बहुत बाद, दिनांक 27/07/2004 (अनुलग्नक P/10) को ही अपनी कार्यभार से मुक्ति के लिए आवेदन किया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ता दूसरों के साथ समानता का दावा नहीं कर सकता। न्यायाधिकरण ने मामले के सभी पहलुओं पर सही ढंग से विचार किया और इस सही निष्कर्ष पर पहुंचा कि याचिकाकर्ता किसी भी राहत का हकदार नहीं है क्योंकि उसने अपने पुराने कार्यालय से जोनल मुख्यालय में शामिल होने के लिए निर्धारित समय सीमा अर्थात् दिनांक 30/04/2004 के बहुत बाद, दिनांक 27/07/2004 को ही आवेदन किया था।

7. परेश चंद्र नंदी बनाम कंट्रोलर ऑफ स्टोर्स (एन.एफ. रेलवे), पांडु और अन्य[1], में सर्वोच्च न्यायालय ने, मामले के तथ्यों में, जहां कानून का प्रश्न यह था कि क्या सक्षम प्राधिकारी के पास रेलवे कर्मचारी को स्थानांतरित करने की शक्ति है, भले ही वह रेलवे मौलिक नियमों के नियम 2011 के तहत एक स्थायी पद से दूसरे स्थायी पद पर हो। उक्त मामले में, सर्वोच्च न्यायालय ने

माना कि एक बार जब ऐसे कर्मचारी को एक स्थायी पद से दूसरे स्थायी पद पर स्थानांतरित कर दिया जाता है, तो वह स्थानांतरण के परिणामस्वरूप जिस दूसरे पद पर स्थायी रूप से तैनात होता है, उसके संबंध में ग्रहणाधिकार का हकदार होता है। वर्तमान मामले में, एक नया ज़ोन अर्थात् एसईसीआर बनने पर, कर्मचारियों से विकल्प आमंत्रित किए गए थे और याचिकाकर्ता ने दूसरों के साथ नए जोनल कार्यालय अर्थात् एसईसीआर बिलासपुर में शामिल होने का विकल्प चुना और उसकी नियुक्ति के अनुसार उसे ग्रहणाधिकार भी आवंटित किया गया था।

8. हरिबंस मिश्रा और अन्य बनाम रेलवे बोर्ड और अन्य[2], में, जहां याचिकाकर्ता एक स्थान पर ग्रहणाधिकार का दावा कर रहा था, सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि एक व्यक्ति का किसी पद पर ग्रहणाधिकार हो सकता है लेकिन किसी स्थान पर नहीं। यह तभी होता है जब व्यक्ति को स्थायी आधार पर नियुक्त किया जाता है कि वह उस पद पर ग्रहणाधिकार का दावा कर सकता है जिस पर उसे नियुक्त किया गया है। वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता को एसईसीआर, बिलासपुर में नियुक्त किया गया था, और उसे उसी आधार पर ग्रहणाधिकार दिया गया था, जहां उसे नियुक्त किया गया था।

[1]

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. याचिकाकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा है कि उसे किसी भी समय कार्मिक विभाग में ग्रहणाधिकार दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष अपने तर्क के समर्थन में कोई दस्तावेज़ पेश नहीं किया है। याचिकाकर्ता की मूल नियुक्ति भी कार्मिक विभाग में नहीं थी। न्यायाधिकरण ने मामले के सभी पहलुओं पर सही ढंग से विचार किया है और याचिका खारिज कर दी है। दिनांक 26/12/2006 (अनुलग्नक पी/17) का विवादित आदेश और दिनांक 5/3/2007 (अनुलग्नक -पी/18) का आदेश न्यायसंगत और उचित है और इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए कोई दुर्बलता या अवैधता नहीं है।

10. परिणामस्वरूप, रिट याचिका गुण-दोष से रहित है और तदनुसार खारिज की जाती है।

11. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं किया जा रहा है।

---

[1] (1970)3 एससीसी 870
[2] (1989)2 एससीसी 84

हस्ताक्षरित/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधिपति

हस्ताक्षरित/
आर.एस. शर्मा
न्यायाधिपति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ..... Pritika Pandya